आवश्यक निर्देश

- 1. वैश्विक महामारी कोविड—19 को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेगें।
- 2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति / सम्बद्धता विभिन्न Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।
- 3. सत्र 2020—21 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System द्वारा (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेगें इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी 5 चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रिजस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म प्रिन्ट Online माध्यम से पूर्ण करके छटे चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहीं प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त शुक्क नहीं भरना होगा। सभी आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतन्त्र है परन्तु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो Admission Monitoring System द्वारा की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा—निर्देश विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर उपलब्ध है।
- महाविद्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की बेबसाइट www.dvrau.org.in के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेगी।
- महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें बेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 6. Admission Monitoring System में शुल्क निर्धारण के लिए प्रवेश समिति द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया। कुलपति जी ने कोविड—19 महामारी और उसके कारण गहराये आर्थिक संकट तथा छात्र—छात्राओं के हितों के ध्यान में रखते हुए वह एैतिहासिक निर्णय लिया कि Admission Monitoring System की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी से केवल 100 रु० शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रुप में लिया जायेगा।



ड:0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,आगरा

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 30.06.2020 द्वारा अनुमोदित प्रवेश नियमावली सत्र 2020 - 2021

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा आवासीय संस्थानों एन सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ साईसेज, इजीनियरिंग तथा विधि संकार्य की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्ही पाठ्यक्रमों /विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्राथिधान विश्वविद्यालय की प्रथा परिनियमावाली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

 वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेंगें।

ऐसे पाठ्यकम जिनकी अनापत्ति / सम्बद्धता विभिन्न Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइस

के अनुसार किया जायेगा।

- सत्र 2020-2021 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से किये जायेंगे इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पाँच चरणों कमशः(1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेश-(3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके छठे चरण नें जिस आवासीर संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह यहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्या से अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यकर्मों का चयन कर सकता है। जिसके लिए उसे कोई अतिरिक शुक्त नहीं भरना होगा। सभी आवासीय संस्थान/सम्बन्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रकिया के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु वा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगें जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रकिया को पूण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बन्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेवसाइट प उपलब्ध है।
- महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www. dbrau.org.in के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की

महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धिन समस्त सूचनार्थे वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Admission Monitoring System में शुल्क निर्धारण के लिए प्रवेश समिति द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किय गया। कुलपति जी ने कोदिड-19 महामारी और उसके कारण गहराये आर्थिक संकट तथा छात्र -छात्राओं के हितों के ध्यान में र'अते हुये यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि Admission Monitoring System की सम्पूर्ण प्रकिया व लिए अभ्यर्थी से केवल 100 रू0 शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।

सामान्य निर्देश

- (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका "प्रोस्पेक्ट्स" तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यकम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें।
 - (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2020-21 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछडी जातियों, तथा 4 प्रतिशत

स्थान विकलागों के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) यथा - श्रवण वाधित, चलन वाधित एवं दृष्टिवाधित के अंतर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 वर्ग के लिए आगंक्षत होगें। विकलोगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

- (स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुरितका का अधिकतम मूल्य 250/- रूपया नकद आगागी सत्र 2020-2021 के लिए रखा जायेगा।
 - (र) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर नो इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।
 - (य) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रवेशोपंरात किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रतीक्षा सूची से प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है. तो वह पूर्व में लिये गये प्रवेश को आवेदन देकर रदद् करा सकता है और दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश ले सकता है। इस परिस्थित में उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही महाविद्यालय द्वारा वापस किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल आवासीय संस्थानों /अनुदानित महाविद्यालयों में ही लागू होगी।
- (अ) सत्र 2020-2021 के लिए कला, विज्ञान एंव वाणिज्य संकार्यों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के "त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम" विधि संकाय के "पंचवर्षीय पाठ्यक्रम" गृह विज्ञान, प्रथन्धन, लाइफ साइसेज, इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष "चतुर्थ वर्षीय पाठ्यक्रम" में ही प्रवेश दिये जायेगें।
 - एल०एल०एम० पाठ्यकम में "प्रथम वर्ष" में प्रवेश हेतु 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 05 प्रतिशत अंक की छूट होगी।
 - (स) एल0एल0बी0/बी0ए0 एल0एल0बी0 पाठ्यकम में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के छात्र/छात्राओं को 45 प्रतिशत, आरक्षित पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को 40 प्रतिशत अंक प्रवेश के लिए आई होगें।
 - (द) सभी संकायों की रनातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 24, अगस्त, 2020 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगें।
 - महाविद्यालय खुलने की तिथि

ः शासनादेश के अनुसार

स्नातक प्रथम वर्ष में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 25 जुलाई, 2020

- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 24 अगस्त, 2020
- स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 सिलम्बर, 2020
- स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष : 01 सितम्बर, 2020
 एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण /प्रवेश की अन्तिम तिथि
- स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 03 सितम्बर, 2020
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों की सलाह दी जाती है कि वे समय-समय
 पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।
- (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।
 - (च) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तंगत प्रतिबन्धित न हों।
 - (स) यदि छात्र /छात्रा कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक /स्नातकोत्तर कथाओं में प्रवेश के इच्छुक है और उसकी अर्हता परीक्षा में दो वर्षों से अधिक का अन्तराल है तो ऐसी दशा में आवामीय पाठ्यक्रमों के निदेशक /विभागाध्यक्ष तथा सम्बन्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह प्रवेश कर सकते है परन्तु उन्हें छात्र /छात्रा से यह शपथ-पत्र लेना अनिवार्य होगा कि उन्हें:-
 - किसी शिक्षा संस्थान मे अनुशासनहीनता का दोषी नही पाया गया है।
 - किसी भी न्यायालय में नैतिक अपराध में दण्डित न हुआ हो।
 - किसी भी अन्य पाठ्यकम में अध्ययनरत् न हो।
 - कही सेवारत न हो।

ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश में विभागाध्यक्ष /प्राचार्य का निर्णयं अन्तिम होगा।

- (ंट) रनातकोत्तर उपाधि के धारक व्यवसायिक पाठ्यकम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से रनातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले संकेगें।
- /4. नियमानुसार एल०एल०बी० 6 वर्ष, बी०ए०एल०एल०बी० 08 वर्ष , स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष, कला, विज्ञान एउं वाणिज्य 06 वर्ष परास्नातक अधिकतम 05 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

5. प्राचार्य की प्रवेश के मामले में डा0 भीमराय आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा का विवरण पुरित्तका अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें:-

"Subject to order issued under sub-section(4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्-शिकरणः उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

- यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप मे दोषी पाया गया हो।
- यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दिण्डल किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।
- (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी:-
 - (1) बी0एस0सी0 (फिजीकल सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
 - (2) बीoएसoसीo (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
 - (3) बी०एस०सी० (कृषि) के लिए कला को छोड़कर इण्टरगीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
 - (4) बी0ए0 बी0काँम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
 - (5) सेन्ट्ल बोर्ड ऑफ सैकेडंरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अईता संरचना पाठ्यकम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों का प्रवेश किया जाये। .

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट-1)

- (व) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए वीठएस0सी०(कृषि)/ वीठएस0सी० परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्वन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उठप्र० बोर्ड / समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट / मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।
- (स) रनातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निग्न प्रकार किये जायेगें :-
 - उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडिएट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यवियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।
 - (ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगां, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र/छात्रा भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के कमांक (i) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।
 - (माँ) शासनादेश संख्या जी0आई0 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अर्न्तगत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।
 - (iv) कमांक-ii तथा क्रगांक-iii में रिक्त स्थानों की कमांक-i के अभ्यर्थियों से योग्यता कमानुसार की जायेगी।
 - (y) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एंव प्रदेशीय सरकार के विदेशी रिजस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमित पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें:-

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य-चकानुकमानुसार।

(iii) एस0एन0 मेडिकेल कॉलेज के प्रींचार्य द्वारा नामित-मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोटः-कोई भी महाविद्यालय एंव स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक ⁄रनातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना :-

7- (क) स्नातक कक्षायें:

(vi)

(vii)

हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।
 इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कथाये:

. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों / ग्रेड का 50 प्रतिशत।

2. रनातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट:-

 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा ।1+1+3 पाठ्यक. की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हं तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेगें।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोडकर थोग्यता सूची वनेर्ग लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंको से अधिक नही होगा।

(क) स्नातक कक्षार्ये:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए

(क) प्रथम विजेता होने के लिए 5 अक।

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए 4 अंक।

(ग) तृतीय विजेता होने के लिए 3 अंक।

(घ) प्रतिमाग करने के लिए 2 अंक।

एन0सी0सी0"सी" सर्टीफिकेट /जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को

8 अंक

एन0सी0सी0"बी" सर्टीफिकेट /जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को

6 अक

अथवा

एन0सी0सी0 कैंडेट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में 3 अंक भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री)

5 अंक

राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को

5 अंक

बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टर्मीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:

विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने.-

कि प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये - 8 अंक।

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये - 7 अंक।

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये - 6 अंक।

(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये - 3 अंक।

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में माग लेने के लिए

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक।

(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक।

(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये - 3 अंक।

प्रितयोगिता में प्रितिमाग करने के लिये - 2 अंक।

एन0सी0सी0"सी" सर्टीफिकेट /जी-2 उत्तीर्ण केंडिटों को - 8 अंक

एन0सी0सी0"बी" सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण पत्र धारक केंडिटों को - 6 अंक

एन0सी0सी0 केंडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 - 3 अंक कैम्प्रों, में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

 एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प - 5 अंक पूरा करने के लिए।

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली - 3 अंक में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो।

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।

(क) प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक।

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक।

(ग) तृतीय विजेता होने के लिये - 3 अंक।

(घ) प्रतिमाग करने के लिये - 2 अंक।

नोट:-उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-एत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षायें:

 डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एंव स्वियत्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एंव कर्मचारियों के पिते/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पिते/पत्नी/पुत्र/पुत्री। भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैक के केवल पति पत्नी: पुत्र-पुत्री (अविवाहित)।

10 अंक

 भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोसं/अर्ख सैनिक बल(पुलिस/पी0ए0सी0) में कार्य करते हुये शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में।

17 अंक

टिप्पणी:

 प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन एत्र में शैक्षणिक एंच अतिरिक्त अनुमन्य अंको की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी आयेगी।
 प्रवेश हेतु <u>वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंको के प्रमाण एत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।</u> अन्य कोई अभिलेख वाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:-

 किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृृ्त्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तंगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था।

उपर्युक्त "1" से "3" तक के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया हुआ
प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा
प्रतिहस्ताक्षारित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ
प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

3. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगां।

सामान्यतः स्नातक कथा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपित को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेगें। कथा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कथा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपित द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स) विशेष पिरिस्थितियों में कुलपित को प्रवेश के लिए अनुमित प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
(ध) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने की अनुमित नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्वन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

- (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपित को लिखेगें और कुलपित का विर्णय अन्तिम होगा।
 - (व) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्धियों के आयेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगे
 और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेगें।
 - (स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व । छात्र का होगा।
 - (द) अभ्यर्थी का वह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश में सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेवसाइट पर सूचनाओं /सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखें, तांक निर्धारित अविध के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकृल तो नही हुआ उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकृल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

- आवेदक यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते है तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- 11. अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है और आपने इंटर की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। िकसी अन्य बोर्ड /प्रांत द्वारा इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित िकया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।